Vol. 2 No 1

BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES

1945

1

OFFICIAL REPORT.

WEDNESDAY, THE 30 TH AUGUST, 1950.

SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING
BIHAR, PATNA.

विहार विधान सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि ६ अक्टूबर, १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन रांची के सभा-वेश्म में शुक्रवार, तिथि ६ अक्टूबर, १९५० को ८ वजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्पसूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER.

आर० डी० डी० जे० कालेज के हरिजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

१४ श्री भागवत प्रसाद : क्या माननीय मंत्री, हरिजन कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मुंगेर के आर० डी० डी० जे० कालेज के हरिजन छात्रों में गत अप्रिल से जून तक की छात्रवृत्ति कितनों को अभी तक नहीं दी गयी है;

(ख) इस तरह की अनावश्यक और अत्यन्त असुविधाजनक देर का कारण क्या है;

(ग) भविष्य में ऐसी देर नहीं हो, इसके लिए सरकार क्या प्रबन्ध करने का विचार कर रही है?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : (क) अप्रिल और मई महीने की छात्रवृत्ति उक्त कालेज के छात्रों को अभी तक नहीं दी गयी है।

(ख) कुछ technical कठिनाइयों के कारण मुंगेर के Treasury Officer के यहाँ इस सम्बन्ध में Bill रुका हुआ है।

माननीय श्रीकृष्णवल्लभ सहाय : (क) विक्टोरिया अस्पताल की कोई प्रबन्ध कमिटी नहीं है। यह सरकारी सिविल असिस्टेंट सर्जन के देख-रेख में है जो कि मेडिकल विभाग की संरक्षता में है :

इडेन स्कूल की प्रबन्ध कमिटी में ये आठ व्यक्ति है :—

१. मैनेजर हथुआ वार्डस स्टेट—Ex-officio President.
२. सर्किल आफिसर, हथुआ।
३. पं० गोविंदपति तिवारी, हथुआ ।
४. चीफ मेडिकल आफिसर, विक्टोरिया,हास्पीटल हथुआ ।
५. श्री बसावन राम, सं० वि० स०
६. सब-इनस्पेक्टर स्कूल, मीरगंज ।
७. श्री गौरीशंकर प्रसाद, शिक्षकों के प्रतिनिधि और
८. हेड मास्टर इडेन स्कूल हथुआ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

बेतिया शहर के दूकानदारों के साथ ज्यादती

* ३६७ श्री जयनारायण प्रसाद : क्या माननीय मन्त्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सही है कि बेतिया के पावर हाउस के नजदीक शहर के लगभग बारह दूकानदारों की दूकानें जो कई वर्षों से मौजूद थीं और जिसका किराया वे दे रहे थे, जबर्दस्ती लाठी के बल से ढाह दी गई हैं;

(ख) क्या यह बात सही है कि दूकान के छतों को गिरा देने से उन गरीबों की चीजें बरबाद हो गई हैं तथा,

(ग) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या यह बात सही है कि बेतिया राज के मैनेजर के हुक्म से हुआ;

(घ) यदि खंड (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस विषय में कोई उचित कारवाई करना चाहती है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : (क) उत्तर "ना" में है। बात यह है कि दशहरा मेले के समय कुछ लोग सड़क पर दूकानदारी के लिये अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं। मेला समाप्त होने पर जो झोपड़ियां उनके द्वारा हटायी नहीं जातीं, वे प्रचलित प्रथानुसार राज के चपरासियों द्वारा हटा दी जाती हैं। बाद में, कुछ दूकानदारों ने सड़क के किनारे, बिजली घर के सामने बिना आज्ञा के, झोपड़ियां बना ली थीं। यद्यपि मैनेजर ने उन्हें मीना बाजार और छोटे मैदान में दूकान के लिये

स्थान दिये थे। निदान मैनेजर ने झोपड़ियां हटाने का आदेश दिया। आदेशों का पालन नहीं किया गया। अथच, वे अनधिकार प्रवेशक माने गये और चपरासियों द्वारा कुछेक झोपड़ियां गिरा दी गईं। यह सही नहीं है कि दूकानदार मासिक किराया दिया करते थे। यह भी सही नहीं है कि लाठी का प्रयोग किया गया था।

(ख) यह सही नहीं है कि दूकानदारों की कोई चीजें नष्ट या बरबाद की गई थीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स पोर्टलैन्ड कम्पनी लि० का तौजी नम्बर ४८४६ रोहतास का ठीका

* ३६६ **सरदार हरिहर सिंह :** क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मेसर्स Portland Cement Company Ltd. का तौजी नं० ४८४६ रोहतास का ठीका कब पूरा हुआ;

(ख) क्या यह बात सही है कि ठीका (lease) खतम हो जाने के बाद भी कम्पनी उस तौजी न० से अपने कारखाने के लिए चूने का पत्थर lime-stone लेती है;

(ग) यदि खंड (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो कम्पनी किस अधिकारी की आज्ञा से यह काम करती है;

(घ) क्या यह बात सही है कि यह कम्पनी विदेशी है और इसकी रजिस्ट्री इस देश के बाहर हुई है;

(ङ) इस कम्पनी के साथ जो ठीका हुआ था उसकी शर्तें क्या थीं और अब क्या शर्तें होने की बात हो रही है?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : (क) मेसर्स एसोशियेटेड पोर्टलैंड सीमेन्ट मैनुफैक्चर लि० को रोहतास में तौजी न० ४८४६ का स्वीकृत पट्टा ३१ दिसम्बर, १६४८ को समाप्त हो गया।

(ख) उत्तर "हां" में है। कम्पनी का पत्थर निकालने का काम पिछले अगस्त से बन्द करवा दिया गया है।

(ग) पट्टा समाप्त होने पर पत्थर निकालने की अनुमति शाहाबाद के तत्कालीन कलक्टर, द्वारा दी गयी थी।

(घ) मेसर्स एसोशियेटेड पोर्टलैंड सीमेंट मैनुफैक्चर लि० लंदन में निबंधित है, लेकिन इसके मैनेजिंग एजेन्ट मेसर्स मार्टिन ऐन्ड कम्पनी भारत में संश्लिष्ट हैं।

(ङ) सामान्य के अतिरिक्त निम्न शर्तें मुख्य थीं :—